

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 37/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री कानाराम कुमावत पुत्र श्री बिरदालाल -मैसर्स- श्री श्याम मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, पीसांगन, अजमेर
2. मैसर्स- श्री श्याम मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, पीसांगन, अजमेर

.....अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (11) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थी स्वयं।

-: आदेश :-

दिनांक- 15.06.2016

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र में लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड खोआ का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, विल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 03.11.2015 को 01.30 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स- श्री श्याम मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, पीसांगन, अजमेर पर पहुँचे श्री कानाराम कुमावत पुत्र श्री बिरदालाल मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को खोआ विक्रय कर रहे थे तथा मौके पर 3-4 किलो खोआ एक ट्रे में रखा हुआ था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान खोआ



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर

में मिलावट का शक होने पर उनमें से नमूना जाँच हेतु 1 किलो ग्रा0 खोआ वास्ते नमूना जाँच हेतु 280/- रूपयें श्री कानाराम कुमावत को नगद देकर गवाह श्री रमेश चन्द सैनी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री कानाराम कुमावत को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा खोआ को चार अलग-2 जार में बराबर-2 मात्रा में डालने के पश्चात प्रत्येक जार में 20-20 बून्द फार्मलीन परीक्षक डालकर जारों को एयरटाईट बन्द करने के पश्चात चारों नमूनों पर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए/1199 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते में लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने में से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/12018 दिनांक 18.12.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस./871/एक्ट/2015/820 दिनांक 17.11.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच उपयोग में लिया गया खोआ सबस्टेण्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय में दिनांक 30.03.2016 पेश किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 30.03.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री कानाराम कुमावत को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 15.06.2016 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 15.06.2016 को अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुये उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपो को अस्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि नर्सिंग न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करावें। भविष्य में इस तरह की कोई गलती नहीं की जायेगी। उस पर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रॉप किया जाये। अभियुक्त द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद में वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नहीं समझा गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जाँच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया खोआ सबस्टेण्ड होना पाया गया, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री कानाराम कुमावत द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला प्रबन्धक (प्रशासन) अजमेर

गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। इस आशय का शपथ-पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री कानाराम कुमावत को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री कानाराम कुमावत को रुपये 8000/- (अक्षरे रुपये आठ हजार मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 15.06.2016 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 15.06.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(किशोर कुमार)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

दिनांक :

क्रमांक : सरिस्ता / अपर / 2014 /

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
- 2- अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।
- 3- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
- 4- श्री कानाराम कुमावत पुत्र श्री बिरदालाल - मैसर्स- श्री श्याम मिष्टान भण्डार, सदर बाजार, पीसांगन, अजमेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर